



प्रेषक,

देवी प्रसाद
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ०प्र० इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 22 जनवरी, 2015

विषय:- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में कार्यरत वाहन चालक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था०-निदे-।-302 सा०वर्ग/ 2014 दिनांक 27.6.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 08 मई, 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में वाहन चालक के सेवा संवर्ग का पुनर्गठन निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है:-

सेवा संवर्ग पुनर्गठन के पूर्व पदों की संख्या, पदनाम, वेतनमान आदि			सेवा संवर्ग पुनर्गठन के उपरान्त पदों की संख्या, नाम वेतनमान आदि				
क्र०	पदनाम/ वर्तमान वेतनमान एवं ग्रेड वेतन (रु० में)	पदों की सं०	क्र०	पद का नाम	संस्तुत वेतनमान / वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (रु० में)	प्रतिशत के रूप में पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1	लारी ड्राइवर 3050-4590 वेतन बैंड-1 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000	11	1	वाहन चालक ग्रेड-4	5200-20200 वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 1900	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का तीस प्रतिशत (03पद)	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त क्लिनीकों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से

						अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में, पोषक संवर्ग या पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियों को उपखण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
		2	वाहन चालक ग्रेड-3	5200-20200 वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2400	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पच्चीस प्रतिशत (03पद)	मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड 4 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में नौ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
		3	वाहन चालक ग्रेड-2	5200-20200 वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2800	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत (02 पद)	मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-3 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर छ वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो या भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड'4 और वाहन चालक ग्रेड'3 के पद पर कुल मिलाकर पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ।
		4	वाहन चालक ग्रेड-1	9300-34800 वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन 4200	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत (02 पद)	मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-2 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

			5	वाहन चालक ग्रेड-1	9300-34800 वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन 4600	संवर्ग में पदों की कुल संख्या का दस प्रतिशत (01 पद)	मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालक ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
--	--	--	---	-------------------------	---	---	--

2- उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0अ0-2-841/ दस-59 (एम)/ 2008 दिनांक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

कृपया तदुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवी प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

संख्या-753(1)/ 77-2-2015 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- उपनिदेशक प्रभारी, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद/ लखनऊ/ रामपुर/ वाराणसी।
- 4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद/ लखनऊ/ रामपुर/ वाराणसी।
- 5- कार्मिक अनुभाग-1
- 6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
- 7- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्द्रसेन)

अनु सचिव।